भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 235

दिनांक 19 जुलाई , 2018 / 28 आषाढ़, 1940 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

235. डॉ. उदित राज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागर विमानन क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एयरबस ने देश में 100 % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए एयरबस को रियायती दर पर जमीन देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क): मौजूदा नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं, विद्यमान हवाईअड्डा परियोजनाओं गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं, हेलीकॉप्टर सेवाओं/सीप्लेन सेवाओं - जिनमें डीजीसीए अनुमोदन अपेक्षित है, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में क्षेत्रगत विनियमों और सुरक्षा अनापत्तियों के अध्यधीन, अनुरक्षण और मरम्मत संगठनों, उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के माध्यमे से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। अनसूचित हवाई यातायात सेवाओं/घरेल अनुसूचित यात्री एयरलाइनों में आप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत और अन्यों के लिए स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत और 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से अनुमति है।

(ख): जी नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****